

कार्यालय उपायुक्त,
कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।

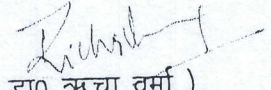
संख्या: पीसीएच (कु0)-निर्वाचन 2020-

दिनांक:

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 88 में अंकित प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु पंचायत समिति अध्यक्ष पदों को विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों का आबंटन किया जाना है ।

अतः मैं डा0 ऋचा वर्मा, उपायुक्त, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 88 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निदेशक पंचायती राज विभाग के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 व पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)10/2010-73159-171 दिनांक 07.12.2020 में दिये गए दिशा निर्देशों की अनुपालना में, पंचायत समिति नगर, कुल्लू, बन्जार, आनी तथा निरमण्ड के अध्यक्ष पदों का निर्धारण एवं आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरणानुसार अधिसूचित करती हूँ ।


(डा0 ऋचा वर्मा)

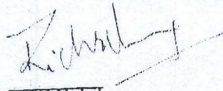
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्या : पीसीएच (कु0) निर्वाचन/2020-5851-6/02

दिनांक: 15-12-2020

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 शिमला-9 को उनके कार्यालय पत्र संख्या...पीसीएच-एचए (1) 10/2010-60780 - 811 दिनांक 24.09.2020 व पीसीएच-एचए (1) 10/2010-75159 दिनांक 7.12.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को सूचनार्थ ।
3. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) जिला कुल्लू, हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (आसाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतु ।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
6. जिला लोक सम्पर्ग अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतु ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू को उक्त सूचना की तीन अतिरिक्त प्रतियां इस आशय सहित प्रेषित है कि इनमें से एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय तथा एक प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर जन साधारण की जानकारी हेतु चसपान करवाना सुनिश्चित करें ।
8. समस्त पंचायत सचिव/ सहायक, ग्राम पंचायत जिला कुल्लू को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से तीन-2 अतिरिक्त प्रतियां सहित पंचायत रिकार्ड एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर चसपान हेतु ।
9. गार्ड पत्रावली ।


उपायुक्त,

जिला कुल्लू हि0प्र0 ।

“अनुसूचि”

(क) जिला कुल्लू की पंचायत समितियों में अध्यक्षों के कुल स्थानों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण :

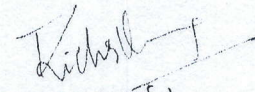
पंचायत समिति अध्यक्षों की कुल संख्या	पंचायत समिति अध्यक्ष के पदों हेतु विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या							अनारक्षित पदों की संख्या
	अ0 जा0	अ0जा0 म0	अ0 ज0 जा0	अ0 ज0 जा0 म0	अ0 पि0 व0	अ0 पि0 व0 म0	महिला	
5	0	1	0	0	0	0	2	2

(ख) जिला कुल्लू की पंचायत समितियों में अध्यक्षों के आरक्षण का विवरण :-

क्र० सं०	पंचायत समितियों के नाम जिसके अध्यक्ष के पद को आरक्षित किया जाता है ।							पंचायत समिति का नाम जहां अध्यक्ष पद अनारक्षित होगा ।
	अ0 जा0	अ0जा0 म0	अ0 ज0 जा0	अ0 ज0 जा0 म0	अ0 पि0 व0	अ0 पि0 व0 म0	महिला	
1	—	बन्जार	—	—	—	—	कुल्लू	नगर
2	—	—	—	—	—	—	आनी	निरमण्ड

नोट :- अनुसूचि में संक्षेपाक्षर निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किए गए हैं ।

अ0जा0 : अनुसूचित जाति
 अ0जा0म0 : अनुसूचित जाति महिला
 अ0ज0जा0 : अनुसूचित जन जाति
 अ0ज0जा0म0 : अनुसूचित जन जाति महिला
 अ0पि0व0 : अन्य पिछड़ा वर्ग
 अ0पि0व0म0 : अन्य पिछड़ा वर्ग महिला


 (डा0 ऋचा वर्मा)
 उपायुक्त, जिला कुल्लू हि0प्र0 ।